



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2022/1653

दिनांक : 03/08/22


-:: अधिसूचना ::-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परिपत्र आदेश क्रमांक/No.F.1-10/2021(CPP-II) Date 17 May 2022 के आलोक में विक्रम विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2022 में विषय क्रमांक 02 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण दर प्रकरण आधार पर पीएच.डी. में पंजीकृत शोधार्थियों को शोध ग्रंथ जमा करने की अवधि में निम्नानुसार दिशा निर्देशों के अधीन 06 माह की वृद्धि मान्य की गई है :-

01. शोधार्थी को शोध-पत्र प्रकाशन एवं दो संगोष्ठीयों में प्रतिभागिता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
02. प्रकरण को शोध निर्देशक द्वारा समयावृद्धि का औचित्य दर्शाते हुये प्रकरण को शोध केन्द्र अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करना आवश्यक होगा।
03. प्रकरण को विभागाध्यक्ष द्वारा आर.ए.सी. में प्रस्तुत करने के उपरांत आर.ए.सी. की अनुशंसा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
04. आर.ए.सी. द्वारा प्रदान की गई अनुशंसा पर दी गई शीर्ष सहमति के आधार पर शोधार्थी को समयावधि में वृद्धि की जा सकेगी।
05. शोध प्रबंध जमा करने की समयावृद्धि में नियमानुसार शुल्क देय होगा।

ऐसे शोधार्थी मान्य होने पर अपने शोध ग्रंथ 31 दिसम्बर 2022 तक अथवा उसके पूर्व विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

दिनांक : 03/08/22

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2022/1654

प्रतिलिपि :-

01. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक समस्त अध्ययनशाला/शासकीय महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र की ओर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
02. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. कुलानुशासक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
04. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. निदेशक आई.क्यू.ए.सी. सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर समस्त आवेदकों को सूचित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
07. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
08. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)



सत्यमेव जयते

सचिव

Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(एनएन एनएनएन, नएन एनएनएन)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

No.F.1-10/2021 (CPP-II)

17th May, 2022

PUBLIC NOTICE

Extension of date for submission of thesis for terminal M.Phil/Ph.D students

In continuation of UGC Public Notice dated 1st December, 2021 on the above mentioned subject, and keeping in view the larger interest of the research scholars, it has been decided by the UGC that an extension of up to six months, beyond 30th June, 2022, may be given to the students by their respective Higher Educational Institutions, on case-to-case basis based on the review of student's work by the Research Advisory Committee and on the recommendation of the supervisor and the Head of the Department of each individual case. Such extension may also be granted for submitting evidence of publication and presentation in two Conferences. However, tenure of fellowship will remain up to five years only.


(P.K. Thakur)